

Information to Parents regarding fees (Revised)

Date: 02.05.2020

Dear Parents,

As per guidelines of state govt. received on 01.05.2020, only Tuition Fee is to be paid by the parents up to the reopening of school.

The parents who have paid the fee as per our earlier circular dated 26.4.2020, we are thankful to them and hereby inform them that the fee deposited by them online is properly maintained in our books of accounts and we assure them that the amount (1/12th of yearly charges) which they have paid with the fee of month April 2020 will certainly be adjusted in the fee payable to school by them in forthcoming month under intimation to the parents.

Principal

DAV Centenary Public School, Jagjeetpur, Laksar Road, Hardwar(UK)

आदेश


कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लॉक डाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन अवधि के अंतर्गत छात्र-छात्राओं से शुल्क लिये जाने का न दवाब बनाने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किये गये हैं।

संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी छात्र-छात्राओं को विद्यालय शुल्क आदि जमा कराने हेतु दवाब दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि लॉक डाउन की वजह से सभी स्कूल बंद हैं और सभी शिक्षण गतिविधियाँ पूरी तरह बंद हैं, अतः ऐसे में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त किसी भी मद में शुल्क लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। स्कूल बंदी की अवधि में समस्त स्कूलों, जिनके अंतर्गत सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०सी० एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध समस्त प्राईवेट एवं पब्लिक स्कूल आते हैं, द्वारा केवल ट्यूशन फीस ही ली जायेगी तथा बाकी मदों में किसी भी प्रकार का शुल्क छात्र-छात्राओं से नहीं लिया जायेगा।

अतः लॉक डाउन अवधि हेतु जनपद हरिद्वार में समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०सी० एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध प्राईवेट/पब्लिक स्कूलों द्वारा मात्र ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में छात्र-छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

उक्त आदेश का मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं बेसिक) हरिद्वार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा आदेश की प्रतिलिपि समस्त स्कूल प्रबन्धन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त आदेश का किसी भी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी एवं स्कूल प्रबन्धन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।


(सी०बी०एस०ई०)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।


कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या-6117 /एसपीओ/कोविड-19

दिनांक-मई, 02 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
- 5- निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
- 7- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
- 8- अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन/वि०रा०), हरिद्वार।
- 9- नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद हरिद्वार।
- 10- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक), हरिद्वार को अनुपालनार्थ।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
- 12- प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/नोडल अधिकारी, कंट्रोल रूम कोविड-19, जनपद हरिद्वार।


जिलाधिकारी,
हरिद्वार।